हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

कार्यसूची

नवम् सत्र

वीरवार, 10 सितम्बर, 2020/19 भाद्रपद,1942 (शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

(1) **तारांकित:**

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए
} पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) **अतारांकित:**

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए
} पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

(1) **श्री वीरेन्द्र कंवर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री,** हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय के अधिनियम, 1986 की धारा-45(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि, विश्वविद्यालय, पालमपुर के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(2) **श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, शिक्षा मन्त्री,** भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, प्राचार्य (महाविद्यालय संवर्ग) वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2020 जोकि अधिसूचना संख्या:ई.डी.एन.-ए-ख(2)150/2010-लूज़ दिनांक 27.02.2020 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 13.03.2020 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

(1) **कर्नल इन्द्र सिंह, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2020-21),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-

(i) समिति का **34वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 51वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **35वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 69वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित** से सम्बन्धित है ।

(2) **श्री बलबीर सिंह,सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2020-21),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-

(i) समिति का **26वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 16वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2019-20) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति के **11वें मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2018-19) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 21वें कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2019-20) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है ।

(3) **श्री बलबीर सिंह वर्मा, सभापति, मानव विकास समिति, (वर्ष 2020-21),** समिति का **23वां मूल प्रतिवेदन** जोकि **आयुर्वेद विभाग** की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

(4) **श्री हीरा लाल, सभापति, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2020-21),**

समिति का **21वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के चतुर्थ मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2018-19) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **लोक निर्माण विभाग** से सम्बन्धित की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

(5) **श्री बिक्रम सिंह जरयाल, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2020-21),**

समिति का **20वां मूल प्रतिवेदन** जोकि **कृषि विभाग** की गतिविधियों पर आधारित की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

4. विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन:

कार्य-सलाहकार समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित किया जाएगा तथा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी किया जाएगा ।

5. गैर-सरकारी सदस्य कार्य :

"संकल्प"

(गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों की सूची संलग्न है)

शिमला-171004 यशपाल शर्मा,
दिनांक: 09 सितम्बर, 2020 सचिव ।

***

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

गैर-सरकारी सदस्य कार्य

'संकल्प'

नवम् सत्र

वीरवार, दिनांक 10 सितम्बर, 2020 को चर्चा हेतु लिए जाने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों की सूची:

क्र0सं0	सदस्य का नाम	उद्धरण
1.	**श्री मुकेश अग्निहोत्रीः**	"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में Interlocking tiles के इस्तेमाल में निरन्तर बढ़ौतरी के कारण इनके निर्माण की गुणवता, आकार, रंग, मुल्य नियन्त्रण तथा इन्हे बिछाने हेतु नीति बनाने पर विचार करें।"
2.	**Sh. Rakesh Singha:**	"This House may discuss a Policy for recruitment and service conditions, other than those posts for which R&P rules exist."
3.	**श्री बलवीर सिंहः**	यह सदन सिफारिश करता है कि प्रदेश हित में रेल नेटवर्क के विस्तारीकरण हेतु नीति बनाने पर विचार करें।
4.	**श्री जगत सिंह नेगी :**	"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि बदलते परिवेश में विधायकों की भूमिका पर नीति निर्धारण करने पर विचार करे।"
पिछले सत्र में प्रस्तुत संकल्प पर आगे चर्चा होगी		
	श्री रमेश चंद ध्वालाः	"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश मे खैर व चन्दन वृक्ष काटने व विक्रय करने हेतु नीति बनाने पर विचार करे।"

सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा ।

***